

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2019—श्रावण 9, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2019

क्र. बी-8-20-2019-20-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2019 की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्रमांक 310, दिनांक 22 जुलाई 2019 में जारी की गई है. जारी अधिसूचना के बिन्दु क्र. 17 में क्लस्टरवार क्रियान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों की सूची में क्लस्टर क्रमांक 7 हेतु निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है :-

क्लस्टर क्रमांक (1)	क्लस्टर अंतर्गत आने वाले जिले (2)	चयनित कंपनी (3)	वेटेड एवरेज प्रीमियम दर (4)
7	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर.	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	12.09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.